(8)

संख्याः /VIII/11–17(सेवा)/2011

प्रेषक,

एन0के0जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन विभाग,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी नैनीताल।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून : दिनाँकः 25 अक्टूबर, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–584/XXVII(1)/2011, दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत अनुदान संख्या–16 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित विवरणानुसार **आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 6,87,000.00 (₹ छः लाख सत्तासी हजार मात्र)** की धनराशि की अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या	**लेखाशीर्षक**	
16–आयोजनेत्तर	2230–श्रम एवं रोजगार 02–रोजगार सेवायें 001– निदेशन तथा प्रशासन–03–रोजगार संबंधी अधिष्ठान	
	मानक मद	**धनराशि हजार रू0 में**
	09–विधुत व्यय	86
	10–जलकर/जल प्रभार	5
	17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	566
	योग–	**657**
16–आयोजनेत्तर	2230–श्रम एवं रोजगार–02–रोजगार सेवायें 800–अन्य व्यय 03–शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	
	मानक मद	**धनराशि हजार रू0 में**
	09–विधुत व्यय	25
	10–जलकर/जल प्रभार	5
	योग–	**30**
	महायोग– रू0 657 हजार + रू0 30 हजार =	**687**

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या 16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन निदेशक, सेवायोजन उत्तराखण्ड के अधीन सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत स्थापित समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

5– यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद आय–व्ययक 2011–12 में प्राविधानित धनराशि, अवमुक्त की जा रही धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय की जाएगी।

6– प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2012 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी0एम0–13 शासन में उपलब्ध कराया जाय।

7– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–584/XXVII(1)/2011 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 सपठित शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0के0जोशी)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः ११८७ (1)/VIII/11–17(सेवा)/2011,तद्दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
3– एनआईसी, सचिवालय ।
4– नियोजन विभाग।
5– वित्त अनुभाग–1/5।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव